न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 256/2020 अपील (GCMS/2020/00278)
पंजीयन दिनांक - 14.07.2020
निर्णय दिनांक - 22.09.2021

1. **श्री रणजीतसिंह पिता श्री हरिसिंह रावत, निवासी नन्दावट, तहसील भील जिला राजसमन्द।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री कल्पित जैन - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-24/2017, बउनवानी श्री रणजीत सिंह बनाम तहसीलदार, भीम में न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 22.09.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-24/2017, बउनवानी श्री रणजीत सिंह बनाम तहसीलदार, भीम में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त समक्ष प्रस्तुत की गई।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- पटवारी हल्का टोगी ने दिनांक 18.10.2017 को रिपोर्ट पेश की कि ग्राम टोगी के सिवायचक आ.ख.न. 1817 मि. रकबा 0.00.03 किस्म मगरी पर श्री रणजीत सिंह पिता श्री हरिसिंह रावत, निवासी नन्दावट तहसील भीम ने नया निर्माण (दुकान) कर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, भीम द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 02.11.2017 को पारित किया कि ''**अप्रार्थी ने मौजा नन्दावट के सिवायचक आ.ख.न. 1817 मि. रकबा 0.00.03 किस्म मगरी पर नया निर्माण (दुकान) कर अवैधानिक रूप से कब्जा किया है। साथ ही प्रश्नगत भूमि एन.एच.8 पर स्थित होकर सिविल न्यायालय भीम के सामने स्थित है, जिस पर माननीय सिविल न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा प्रश्नगत आराजी से तत्काल बेदखल किया जाता है एवं मौके**

पर अवैध नव निर्माण (दुकान) को ध्वस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा वार्षिक लगान 1.00 रूपये की 50 गुणा शास्ति राशि 50.00 (पचास रूपये) अधिरोपित की जाती है।"

- तहसीलदार, भीम के निर्णय दिनांक 02.11.2017 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 19.04.2018 को पारित किया कि ''**अपीलान्ट द्वारा तहसील भीम के राजस्व ग्राम नन्दावट स्थित आराजी नम्बर 1817 मिन रकबा 28.18 बीघा बिलानाम भूमि में से 0.0.03 बीघा बिलानाम भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है। वादग्रस्त आराजी भूमि राजकीय बिलानाम भूमि होकर नेशनल हाईवे संख्या 8 पर स्थित है। राजकीय बिलानाम भूमि पर किये जाने वाले अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध धारा 91 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर मौके से हटवाये जाने का क्षेत्राधिकार/दायित्व स्वयं तहसीलदार को प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भीम द्वारा जो बेदखली का आदेश पारित किया गया है, वह न्यायोचित प्रतीत होना पाया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब, साक्ष्य व सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाना वर्णियत किया गया। किन्तु इस न्यायालय में भी समुचित अवसर प्रदान किये गये किन्तु वादग्रस्त भूमि का नियमन कानूनन किस प्रकार से संभव है कोई ठोस कथन व प्रमाण पेश नहीं किये गये। साथ ही अपीलान्ट ने कुछ अतिक्रमण काफी पुराना होना तथा व्यवसायिक गतिविधि क्यों कर रहे है, के बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। उक्त भूमि भूमिहिन कृषकों के लिए उपलब्ध हो ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। नेशनल हाईवे पर स्थित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और कीमती भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नियमन एवं आवंटन अवैध कब्जे की आड़ में अनुमत करना कतई न्यायोचित नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता है। अपीलान्ट की ओर से दिनांक 23.01.2018 को वादग्रस्त भूमि का स्थल निरीक्षण कर मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचनन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार, भीम द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2017 को यथावत रखा जाता है। इसी के साथ अपीलान्ट की ओर से वादग्रस्त भूमि का स्थल निरीक्षण कर मौका कमिशनर रिपोर्ट मंगवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना को भी खारिज किया जाता है।**''

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष दिनांक 14.07.2020 को पेश की गई है। **अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया,** जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 14.07.2021 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 20.09.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को तहसील कार्यालय में अपना जवाब एवं अन्य कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला। दिनांक 18.10.2017 को सुनवाई बाबत नोटिस प्राप्त हुआ जिस पर तहसील कार्यालय समक्ष अपीलार्थी उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर प्रदान करने की याचना की क्योंकि अपीलार्थी को केवल एक सम्मन प्राप्त हुआ एवं पत्रावली की सामग्री की उसे कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे में उसे अपना जवाब व सम्यूक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था किन्तु सीधे ही जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करने का आदेश देकर निर्णय पारित कर दिया। इन तथ्यों पर जिला कलक्टर द्वारा भी ध्यान न देकर अपील को विधि विरूद्ध निरस्त कर दी। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को तामिल से पूर्व एक मौका पर्चा बनाया गया जो अपीलार्थी के परोक्ष बनाया गया। अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों के साथ ही दौराने बहस माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक निर्णय पद्मावती बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में दी गई व्यवस्था पर ध्यानाकर्षण किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कही भी यह अंकित नहीं किया कि इस प्रकरण में यह न्यायिक सिद्वान्त क्यों कर लागू नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा सिविल न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में यह आदेश पारित किये जाने का अंकन किया है, जबकि सिविल न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार निर्देश जारी कर दिया। अपीलार्थी विगत लम्बे समय से इस भूमि पर आधिपत्यधारी है। सिवायचक भूमि के संबंध में नियमन हेतु पूर्व में कई निर्देश जारी किये जा चुके थे व अपीलार्थी नियमित कब्जे में था किन्तु मात्र फोरी तौर पर प्रकरण को निर्णित करने की जल्दी में आलौच्य आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी को कई समय तक उक्त निर्णय की जानकारी ही नहीं हुई और मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में जानकारी होते ही दस्तावेज प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई जिसमें हुई देरी को क्षमा करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त किया जावें व रेस्पोडेंट को निर्देशित कराया जावें कि वादग्रस्त भूमि से अपीलार्थी को न तो बेदखल करे, न उसके आधिपत्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ही करें, न ही इस सम्पत्ति के नियमितीकरण में कोई विधि विरूद्ध बाधा ही उत्पन्न करें एवं अन्य कोई अनुतोष जो कि प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक व उचित हो प्रदान कराया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है, मयाद उपशमन बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है, अपीलार्थी को प्रत्येक दिन हुए विलम्ब के कारणों से न्यायालय को संतुष्ट किया जाना है, जो नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर ही निरस्तनीय है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतिक्रमित भूमि बिलानाम की है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। न ही ऐसी अतिक्रमित भूमि को किसी भी प्रचलित नियमों में नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत

करने का अवसर दिया गया। अतिक्रमी के विरूद्ध जो निर्णय एवं कार्यवाही की गई है, वह उचित है। पारित दोनों निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावें।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 14.07.2020 को अपील प्रस्तुत की गई जो 26 माह से अधिक देरी से प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम पर दौराने बहस आपत्ति जाहिर की और मयाद के बिन्दु पर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में सवप्रर्थम हम मयाद के बिन्दु को तय किया जाना उचित समझते है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि है अपीलार्थी को कई समय तक उक्त निर्णय की जानकारी ही नहीं हुई और मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में जानकारी होते ही दस्तावेज प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। हमनें अपीलार्थी के उक्त कथनों का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं निर्णय के परिपेक्ष्य में विचार विश्लेषण किया और पाया कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित हुए, जिसका वर्णन निर्णय में किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर 26 माह से अधिक समय तक अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। 26 माह से अधिक की देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है उपरोक्त विवेचनानुसार ऐसी अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकन किया है कि ***राजकीय बिलानाम भूमि पर किये जाने वाले अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध धारा 91 अन्तर्गत राजस्थान***

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर मौके से हटवाये जाने का क्षेत्राधिकार/दायित्व स्वयं तहसीलदार को प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भीम द्वारा जो बेदखली का आदेश पारित किया गया है, वह न्यायोचित प्रतीत होना पाया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब, साक्ष्य व सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाना वर्णियत किया गया। किन्तु इस न्यायालय में भी समुचित अवसर प्रदान किये गये किन्तु वादग्रस्त भूमि का नियमन कानूनन किस प्रकार से संभव है कोई ठोस कथन व प्रमाण पेश नहीं किये गये। साथ ही अपीलान्ट ने कुछ अतिक्रमण काफी पुराना होना तथा व्यवसायिक गतिविधि क्यों कर रहे है, के बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। उक्त भूमि भूमिहिन कृषकों के लिए उपलब्ध हो ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। हम न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द के तार्किक एवं विधि सम्मत निष्कर्ष का समर्थन करते है क्योंकि अपने कथनों के समर्थन में अपीलार्थी न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय समक्ष कोई प्रभावी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है, जबकि उसे पर्याप्त सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। भूमि के आवंटन/नियमन हेतु अलग से प्रावधान निर्देश है जिनके अन्तर्गत विधि अनुसार अलग से कार्यवाही की जाती है। वर्तमान प्रकरण में 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत है, जिसमें अतिक्रमण कर लिये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है।

वर्तमान प्रकरण किसी आवंटन एवं नियमन के आदेश की अपील नहीं होकर अतिक्रमण बेदखली का होने से इसमें विचार कर निर्णय हेतु प्रस्तुत विषय अतिक्रमी की बेदखली का है। विचारणीय विषय अतिक्रमण नियमन नहीं होने से उस पर विचार कर निर्णय दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधनित है। इस बेदखली के कार्यवाही में नियमन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आवंटन अथवा नियमन व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर सरकार का विवेकाधिकार है। व्यक्ति आवेदन पत्र आमंत्रित होने पर ही आवेदन कर सकता है किन्तु स्वयं चयन कर अधिकार स्वरूप किसी भूखण्ड विशेष के आवंटन या नियमन का कथन अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।

मामले में दोंनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। आलोच्य प्रकरण में तहसीलदार की कार्यवाही में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत रकबे पर अपीलार्थी ने दुकान निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना परिलक्षित होता है। मामले में वांछित पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक जिम्मेदार राज्य सेवक द्वारा निर्मित्त की गई है तथा ऐसी

रिपोर्ट को अन्यथा सिद्ध किए जाने बाबत अपीलार्थी ने किसी प्रकार की प्रभावी साक्ष्य पेश नहीं की है। उल्लेखनीय है कि अतिक्रमी हमेशा अतिक्रमी ही होता है तथा दण्ड का भागीदार होता है एवं उसे आवंटी या वैद्य खातेदार के स्थान पर नहीं बैठाया जा सकता। तदनुसार धारा 91 की कार्यवाही में तहसीलदार भीम ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 02.11.2017 पारित करते हुए बेदखली एवं शास्ति अधिरोपित की है, जिसमें किसी विधि का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा पेश अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए अपील को खारिज किया है। अतः प्रकरण की परिस्थिति के मद्देनजर मामले में आक्षेपित निर्णय का विधि की भावना के अनुसार परीक्षण करने पर हम पाते है कि पारित किया गया निर्णय विधिनुसार उचित है। यहां यह उद्धरत किया जाना उचित है कि अपीलार्थी ने जिस न्यायिक दृष्टान्त का अवलम्बन लिया है, उसके तथ्य भिन्न होने के कारण उससे उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। सांराशतः अपीलार्थी ने मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उसे किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

अपीलार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-5(44) के अनुसार अतिक्रमी है, जिसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत बेदखल किया जा सकता है। तहसीलदार ने धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के तहत अपीलार्थी को बेदखल करने का जो निर्णय प्रदान किया है, वह विधि सम्मत, न्यायसंगत एवं तर्क संगत है। जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा तहसीलदार, भीम के निर्णय को यथावत रख कर उचित निर्णय प्रदान किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर